



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272310  
CG-DL-E-07052026-272310

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2135]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2026/वैशाख 15, 1948

No. 2135]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2026/VAISAKHA 15, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सं. 12/2026-2027

विषय: बैराइट (प्राकृतिक बेरियम सल्फेट) की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2222(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.2. और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा बैराइट (प्राकृतिक बेरियम सल्फेट) से संबंधित निर्यात की नीतिगत शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती है: बैराइट (प्राकृतिक बेरियम सल्फेट) की निर्यात नीति को श्रेणी-वार निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

आइटीसी/एचएस कोड	मद/विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
25111010	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स): लम्प्स	• श्रेणी ए (स्पेसिफिक ग्रेविटी $\geq 4.2$ ): मुक्त	• श्रेणी ए (स्पेसिफिक ग्रेविटी $\geq 4.2$ ): प्रतिबंधित

25111020	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स): <i>पाउडर</i>	• श्रेणी बी (स्पेसिफिक ग्रेविटी = 4.10–4.20): मुक्त	• श्रेणी बी (स्पेसिफिक ग्रेविटी = 4.10–4.20): प्रतिबंधित
25111090	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बैराइट्स): <i>अन्य</i>	• श्रेणी सीडीडब्ल्यू (स्पेसिफिक ग्रेविटी < 4.0): मुक्त	• श्रेणी सीडीडब्ल्यू (स्पेसिफिक ग्रेविटी < 4.0): मुक्त

2. श्रेणी ए और श्रेणी बी बैराइट का निर्यात "प्रतिबंधित" श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए पहले से अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, डीजीएफटी द्वारा प्राधिकार पत्र /लाइसेंसिंग के अध्यक्षीन होगा।

3. श्रेणी सीडीडब्ल्यू बैराइट को मुक्त निर्यात नीति के अनुसार निर्यात किया जा सकेगा।

**इस अधिसूचना का प्रभाव :** बैराइट (प्राकृतिक बेरियम सल्फेट) की निर्यात नीति को श्रेणी-वार आधार पर संशोधित किया गया है, जिसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है तथा श्रेणी सीडीडब्ल्यू को मुक्त श्रेणी में बनाए रखा गया है।

[फा. सं. ईसी एनसी-ईसीएनसी/2/2026-निर्यात प्रकोष्ठ (गैर-स्कोमेट)/ई-45302]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2026

No. 12/2026-27

**Subject: Amendment in export policy of Baryte (Natural Barium Sulphate) – regarding.**

**S.O. 2222(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in the export policy conditions relating to Baryte (Natural Barium Sulphate):

1. The export policy of Baryte (Natural Barium Sulphate) shall be regulated grade-wise as under:

ITC/HS Code	Item / description	Existing Policy	Proposed policy
25111010	Natural barium sulphate (barytes): <i>lumps</i>	• Grade A (Specific Gravity $\geq 4.2$ ): Free	• Grade A (Specific Gravity $\geq 4.2$ ): Restricted
25111020	Natural barium sulphate (barytes): <i>powder</i>	• Grade B (Specific Gravity = 4.10–4.20): Free	• Grade B (Specific Gravity = 4.10–4.20): Restricted
25111090	Natural barium sulphate (barytes): <i>other</i>	• Grade CDW (Specific Gravity < 4.0): Free	• Grade CDW (Specific Gravity < 4.0): Free

2. Export of Grade A and Grade B baryte shall be subject to authorisation/licensing by DGFT, in accordance with the procedure already followed for items falling under "Restricted" category.

3. Grade CDW baryte shall continue to remain freely exportable.

**Effect of this Notification:** Export policy of Baryte (Natural Barium Sulphate) is amended on a grade-wise basis by placing Grade A and Grade B under Restricted category and retaining Grade CDW under Free category.

[F. No. EC NC-ECNC/2/2026-Export cell (Non-SCOMET)/e-45302]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.